

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

क्रमांक एफ 25-17/2011/10-3

भोपाल, दिनांक: 6 फरवरी, 2014

प्रति,

- समस्त वन परिक्षेत्र अधिकारी, सामान्य / वन्यप्राणी परिक्षेत्र (पदाभिहित अधिकारी)
- समस्त वन मण्डलाधिकारी, सामान्य / उप संचालक / सहायक संचालक, राष्ट्रीय उद्यान (प्रथम अपीलीय अधिकारी)
- समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन वृत्त / क्षेत्र संचालक / संचालक, राष्ट्रीय उद्यान (द्वितीय अपीलीय अधिकारी)

विषय: सेवा क्रमांक 10.2 – वन्यप्राणियों से जन-घायल हेतु राहत राशि का भुगतान के संबंध में निर्देश।

संदर्भ: म.प्र. शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/61/लो.से.प्र./पी.एस.जी.-10 दिनांक 10.04.2013

—:0:—

1. सेवा का उद्देश्य:—इस सेवा का उद्देश्य वन्यप्राणियों द्वारा घायल व्यक्ति को राहत राशि उपलब्ध कराना है। वन्यप्राणियों द्वारा घायल होने के मामले में सामान्यतः वन विभाग द्वारा स्वप्रेरणा से कार्यवाही प्रारंभ कर योजना का लाभ घायल को दिलाया जाना चाहिए, परंतु यदि किसी कारणवश स्वप्रेरणा से कार्यवाही नहीं होती तो पीड़ित व्यक्ति अथवा परिवार के सदस्य इस सेवा के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

2. पदाभिहित अधिकारी एवं समय-सीमा:—इस सेवा के लिये वन परिक्षेत्राधिकारी अपने—अपने क्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी होंगे। इस सेवा हेतु समय-सीमा आवेदन दिनांक से 7 कार्य दिवस निर्धारित की गई है।

3. आवेदन पत्र का प्रारूप:—इस सेवा के लिये आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में, सादे कागज पर भी आवेदन दिया जा सकता है।

4. पात्रता की शर्तें — संबंधित व्यक्ति को किसी वन्यप्राणी (सांप, गुहेरा एवं जहरीले जन्तु को छोड़कर) द्वारा घायल किया गया हो।

(नोट— यहां वन्य प्राणी से तात्पर्य वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में दी गई परिभाषा से है)

5. आवश्यक दस्तावेज —

- चिकित्सक / सरपंच / पंचायत सचिव / स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अथवा पंचानामा।
- कराये गये उपचार के भुगतान संबंधी बिल।
- स्थाई विकलांगता की स्थिति में शासकीय सक्षम चिकित्सक के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

6. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी—

6.1 सेवा प्राप्त करने के लिये कंडिका 3 में बताये अनुसार संलग्न प्रारूप एवं कंडिका-5 में दर्शाये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी (वन परिक्षेत्राधिकारी) के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

- 6.2 आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन की अभिस्वीकृति लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 5 (1) के अंतर्गत "परिशिष्ट-2" में दी जावेगी।
- 6.3 पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय-सीमा का उल्लेख किया जावेगा और यदि आवेदन अपूर्ण हैं तो समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जायेगा परंतु जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं उनका उल्लेख अभिस्वीकृति में किया जावेगा।
- 6.4 आवेदन लेते समय आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नम्बर का उल्लेख भी यथासंभव कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार एसएमएस अलर्ट किया जा सके।
- 6.5 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम, 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी (संलग्न "परिशिष्ट-3") में किया जायेगा।
- 6.6 संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र परंतु निर्धारित समय-सीमा में आवेदन का निराकरण किया जावेगा तथा आवेदक को सेवा प्रदाय की सूचना परिशिष्ट-4 में दी जावेगी।
- 6.7 आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की स्थिति में भी आवेदक को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा - 5(2) के अंतर्गत कारण अभिलिखित करते हुये, सूचना परिशिष्ट-5 में दी जावेगी।
7. लोक सेवा केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी—
- 7.1 साफ्टवेयर पर ऑनलाईन आवेदन दर्ज किया जाएगा एवं साफ्टवेयर में कंडिका-5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा। दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व उस लोक सेवा केन्द्र के ऑपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा।
- 7.2 आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक का मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी आवेदक के पास होने की स्थिति में आवश्यक रूप से लिया जावे।
- 7.3 ऑनलाईन आवेदन का प्रिन्टआउट निकालकर प्रिन्टआउट पर आवेदक के हस्ताक्षर लिए जाएंगे एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत उसके साथ संलग्न होने वाले निर्धारित दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा। इस तरह प्राप्त यह हार्डकॉफी पदाभिहित अधिकारी द्वारा माह के प्रथम सोमवार (अवकाश होने पर अगला कार्य दिवस) को विशेष बाहक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
- 7.4 ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही साफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी। पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय-सीमा साफ्टवेयर द्वारा अंकित होगी। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में छूट गये दस्तावेजों का उल्लेख होगा। आवेदन जमा होने के बाद पावती पर ऑपरेटर द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदक को दी जायेगी।
- 7.5 लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन की ऑनलाईन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउन्ट में ऑनलाईन उपलब्ध हो जाएगा।

- 7.6 पदाभिहित अधिकारी ऑनलाईन आवेदन के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र परन्तु समय सीमा में आवेदन का निराकरण करेगा।
- 7.7 सेवा प्रदाय की सूचना आवेदक को संलग्न परिशिष्ट—4 में दी जाएगी, जो कि लोक सेवा केन्द्र द्वारा सॉफ्टवेयर से निकाले गये प्रिंट आउट के माध्यम से प्रदान की जावेगी।
- 7.8 यदि कतिपय कारणों से जन-घायल हेतु राहत राशि का भुगतान दिया जाना संभव नहीं है तो ऐसे आवेदन पत्र को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने का आदेश डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा पदाभिहित अधिकारी द्वारा संलग्नित परिशिष्ट —5 में पारित किया जावेगा, इस तरह जारी होने वाली समस्त सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजिटरी, वेबसाईट (www.mpedistrict.gov.in) पर संधारित की जायेगी। यह कार्यवाही निर्धारित अधिकतम समय—सीमा 3 कार्य दिवस के अंदर ही संपादित की जाएगी।
- 7.9 लोक सेवा केन्द्र ऑपरेटर द्वारा सेवा प्रदाय अथवा प्रदाय न करने की सूचना संबंधी पत्र डिजीटली साईन रिपोजिटरी (www.mpedistrict.gov.in) से प्रिंटआउट निकालकर दिया जायेगा एवं प्रमाण—पत्र पर नीचे लिखा सत्यापन प्रमाण—पत्र हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अंकित किया जावेगा—
 “प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाईट (www.mpedistrict.gov.in) से मेरे द्वारा निकाला गया है।”

हस्ताक्षर
लोक सेवा केन्द्र संचालक

8. सेवा प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया –

- 8.1 आवेदक द्वारा अपना आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में सीधे अथवा लोक सेवा केन्द्र में प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- 8.2 पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कंडिका—6 अनुसार एवं लोक सेवा केन्द्र में कंडिका—7 अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 8.3 इस सेवा में आवेदन प्राप्त होने पर पदाभिहित अधिकारी (संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी) द्वारा अविलंब प्रकरण की जांच की जायेगी एवं पंचनामा इत्यादि तैयार किया जाएगा। वन्यप्राणी से जनघायल की पुष्टि होने पर तात्कालिक सहायता के रूप में घायल व्यक्ति को रु. 1,000/- राशि उपलब्ध कराई जावेगी।
- 8.4 घायल व्यक्ति को राहत राशि का भुगतान निम्नानुसार होगा—

अ. वन्यप्राणी द्वारा सामान्य रूप से घायल होने की स्थिति में—

घायल व्यक्ति/आवेदक की ओर से इलाज में हुए व्यय के देयकों के प्रस्तुत किये जाने पर उपचार पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में राहत राशि का भुगतान अधिकतम रूपये 30,000/- (तीस हजार रूपये) (अथवा शासन द्वारा समय—समय पर पुनरीक्षित राशि) का भुगतान तात्कालिक सहायता के रूप में दी गई राशि को घटाकर किया जायेगा।

ब. स्थायी विकलांगता की स्थिति में—

स्थायी विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक को उपचार पर हुये सम्पूर्ण व्यय के अतिरिक्त राहत की राशि रूपये 1,00,000 (रूपये एक लाख रूपये) का भुगतान भी किया जावेगा।

8.5 उपरोक्त कंडिका 8.3 एवं 8.4 में वर्णित समस्त कार्यवाही यथाशीघ्र समय सीमा 7 कार्य दिवस में की जावेगी।

8.6 आवेदक चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन एवं स्थायी विकलांगता संबंधी आवेदन एक साथ अथवा पृथक—पृथक दे सकता है।

8.7 उपरोक्तानुसार कार्यवाही के क्रम में राहत राशि की स्वीकृति हेतु संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जाएगा।

8.8 आवेदक को प्राप्त होने वाली राहत राशि आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में ई—पेमेंट /डी.डी./ चैक के माध्यम से जमा करा दी जायेगी।

9. शुल्कः— इस सेवा को प्राप्त करने के लिए कोई प्रशासनिक शुल्क देय नहीं है। लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर लोक सेवा केन्द्र के लिये निर्धारित आवेदन शुल्क केवल रु. 30/- जमा करना होगा।

10. सेवा प्रदाय के संबंध में स्पष्टीकरण — साप, गुहेरा एवं जहरीले जंतु से जनहानि के प्रकरणों में राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

11. आदेश/निर्देशों का निरसन/अधिकमण— मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा जन-धायत के संबंध में जारी परिपत्र क्र.एफ 25-17 / 2011 / 10-3 दिनांक 21.12.11 को इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से निरस्त माना जाये।

12. अपील— आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेंगा—

1. आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर।

अथवा

2. आवेदन का निराकरण समय—सीमा में न होने पर।

अपील निम्नानुसार की जा सकेंगी—

1. **प्रथम अपील —** प्रथम अपील वनमण्डलाधिकारी/संरक्षित क्षेत्र के उप संचालक/सहायक संचालक को आवेदन नामंजूर होने की तारीख से अथवा निश्चित समय सीमा के अवसान होने से 30 दिन के भीतर की जा सकेगी। अपील अधिकारी 15 कार्य दिवस में अपील का निराकरण करेंगे।

2. **द्वितीय अपील —** प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील ऐसे विनिश्चय की तारीख से 60 दिन के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी — वनसंरक्षक/संरक्षित क्षेत्र के संचालक को प्रस्तुत की जाएगी।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार परिशिष्ट 5

(प्रशांत कुमार)
सचिव

**मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक: 6- फरवरी, 2014**

पृ.क्र.एफ 25-17 / 2011 / 10-3

प्रतिलिपि:—

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मंत्रालय, भोपाल
2. मुख्य सचिव के सचिव, मंत्रालय, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय भोपाल
4. प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, भोपाल
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010

(सेवा क्रमांक 10.2 वन्यप्राणियों से जन-घायल हेतु राहत राशि का भुगतान हेतु आवेदन पत्र)

(यह आवेदन पत्र संबंधित पदाधिकारी (परिक्षेत्र अधिकारी / प्राधिकृत कर्मचारी को) प्रस्तुत किया जाये)

1.	घायल व्यक्ति का नाम एवं पता	-
2.	घायल के माता/पिता का नाम	-
3.	घायल व्यक्ति की उम्र	-
4.	घटना स्थल	-
5.	घटना दिनांक एवं समय	-
6.	ग्राम का नाम	-
7.	पंचायत का नाम	-
8.	वन परिक्षेत्र/वन मण्डल का नाम	-
9.	जिला	-
10.	वन्यप्राणी जिसके द्वारा व्यक्ति को घायल किया गया	-
11.	आवेदन देने का दिनांक एवं समय	-
12.	आवेदक यदि स्वयं घायल नहीं है तो आवेदक का नाम, वल्दियत एवं पता	-
13.	आवेदक का मोबाइल फोन नं. (यदि कोई हो तो)	-
14.	घायल व्यक्ति का बैंक खाता नम्बर, बैंक का नाम एवं आईएफएससी कोड नं.	-

संलग्नक -

1. चिकित्सक / सरपंच / पंचायत सचिव / स्थानीय निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा पंचनामा।
2. कराये गये उपचार के भुगतान संबंधी बिल।
3. स्थाई विकलांगता की स्थिति में शासकीय सक्षम चिकित्सक के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010
 (सेवा क्रमांक 10.2 वन्यप्राणियों से जन-घायल हेतु राहत राशि का भुगतान)

धारा 5 (1) के अंतर्गत अभिस्वीकृति का प्रारूप

1. पदाधिकारी के कार्यालय का – _____
 नाम एवं पता _____
 (मोबाइल नं. एवं ई-मेल आईडी) _____
2. आवेदक का नाम एवं पता – _____

3. पदाधिकारी के कार्यालय – _____
 में आवेदन प्राप्ति का दिनांक _____
4. उन दस्तावेजों पर सही (✓) का निशान लगायें जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं
 1. चिकित्सक/ सरपंच/ पंचायत सचिव/ स्थानीय निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा पंचनामा।
 2. कराये गये उपचार के भुगतान संबंधी बिल।
 3. स्थाई विकलांगता की स्थिति में शासकीय सक्षम चिकित्सक के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।
5. सेवा प्रदाय हेतु निश्चित की गई समय-सीमा _____
 की आखिरी तारीख _____

स्थान
 दिनांक

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
 नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोट:- आवेदन के साथ वांछित समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में इस अभिस्वीकृति के बिन्दु-5 में समय-सीमा की आखिरी तारीख दर्ज नहीं की जायेगी।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010
 (सेवा क्रमांक 10.2 वन्यप्राणियों से जन-धायल हेतु राहत राशि का भुगतान)

नियम 16 के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली
 पंजी का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम

माह वर्ष

क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पता	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है	निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख	आवेदन स्वीकृत/निरस्त	पारित आदेश का क्रमांक, दिनांक एवं विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत
(सेवा क्रमांक 10.2 वन्यप्राणियों से जन-घायल हेतु राहत राशि का भुगतान)

सेवा प्रदाय की सूचना का प्रारूप

कार्यालय परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र

..... म.प्र.

क्रमांक / दिनांक :

प्रति,

.....
.....
.....

विषय :- वन्य प्राणियों से जन-घायल हेतु राहत राशि का भुगतान।

संदर्भ :- आपका आवेदन पत्र दिनांक

वन्यप्राणी से श्री/ श्रीमती/ कुमारी/ के जन-घायल
 के प्रकरण में राहत राशि के भुगतान हेतु आपसे प्राप्त संदर्भित आवेदन पत्र के निराकरण
 उपरांत, राहत राशि के रूप में रूपए का धनादेश/ डी.डी. क्रमांक,
 दिनांक संलग्न प्रेषित है/ राशि रु. आपके बैंक खाता नम्बर
 में ई-पेमेंट द्वारा जमा करा दी गई है।

()

नाम

पदाभिहित अधिकारी

एवं

परिक्षेत्र अधिकारी

..... परिक्षेत्र

वनमंडल

जिला.....

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010

(सेवा क्रमांक 10.2 वन्यप्राणियों से जन-घायल हेतु राहत राशि का भुगतान)

**आवेदन नामंजूर होने की स्थिति में आवेदक को दी जाने वाली सूचना
का प्रारूप**

(धारा 5(2) के अंतर्गत)

कार्यालय परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र म.प्र.

क्रमांक / दिनांक :

प्रति,

.....

विषय :- वन्य प्राणियों से जन-घायल हेतु राहत राशि का भुगतान।

संदर्भ :- आपका आवेदन पत्र दिनांक

वन्य प्राणियों से जन-घायल हेतु राहत राशि के भुगतान संबंधी आपसे प्राप्त संदर्भित आवेदन पत्र विचारोपरांत, निम्नलिखित कारणों से नामंजूर किया गया है :-

(i.)

(ii.)

(iii.)

यदि आप इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो श्री
 पद प्रथम अपील अधिकारी
 (दूरभाष क्रमांक:), के समक्ष इस आदेश की दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते हैं।

()

नाम

पदाधिकारी

एवं

परिक्षेत्र अधिकारी

परिक्षेत्र

वनमंडल

जिला.....